ग्राम पंचायत दराट बगला, विकास खण्ड द्रंग ,जिला मण्डी के लेखाओं का
अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 01.04.21 से 31.03.23
भाग- एक

1 **(क) प्रस्तावना :-**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व सयुंक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हि०प्र०, राज्य लेखा परीक्षा विभाग, को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत दराट बगला, विकास खण्ड द्रंग, जिला मण्डी के अवधि 01.04.21 से 31.03.23 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान / सचिव कार्यरत रहे:-

प्रधान :-

क्र० सं०	**नाम**	**अवधि**
1	श्री जगदीश सोनी	01-04-2021 से लगातार

सचिव :-

क्र० सं०	**नाम**	**अवधि**
1	श्री नागु राम	01-04-2021 से 31-03-2023 तक

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत दराट बगला के लेखाओं अवधि 01-04-2021 से 31-03-2023 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:-

क्रम संख्या	**पैरा संख्या**	**अनियमितताओं का संक्षिप्त सार**	**राशि (₹ लाखों में)**
1	4.1	रोकड़ बही का बैंक खातों से नियमानुसार मिलान न करना जिसके फलस्वरूप रोकड़ बही व बैंक खाते में अन्तर बारे	**0.11**
2	5(ख)	अनुदान राशि का उपयोग न करना	**16.14**

3	6(क)	गृह कर न वसूलने बारे	**0.64**
4	6(ख)	विवाह पंजीकरण शुल्क न वसूलने बारे	**0.02**
5	9(क)	स्त्रोत पर आयकर की कटौती न करके वसूली न करना	**0.09**
6	10	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना निर्माण सामग्री का क्रय करना	**0.40**

(ग) गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदनः-

गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पैरों पर की गई कार्यवाही की वर्तमान अंकेक्षण के दौरान सत्यापना की गई, जिन पैरों पर की गई कार्यवाही संतोषजनक पाई गई उनका अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया । गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरों पर की गई कार्रवाई उपरान्त पैरों की नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के **परिशिष्ट "क"** पर दर्शाई गई है ।

भाग- दो

2 **(क) वर्तमान अंकेक्षणः-**

ग्राम पंचायत दराट बगला, विकास खण्ड द्रंग, जिला मण्डी के अवधि 01.04.21 से 31.03.23 तक के लेखाओं का वर्तमान अंकेक्षण श्री दलजीत कुमार,कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 09-01-2024 से 16-01-2024 तक ग्राम पंचायत कार्यालय मे किया गया । लेखाओं की विस्तृत जाँच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया ।

वित्तीय वर्ष	**आय**	**व्यय**
2021-22	01/22	07/21
2022-23	12/22	05/22

(ख) अस्वीकरण :- इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है । उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई किसी भी गलत सूचना/ अभिलेख के अपूर्ण/ गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हि.प्र. राज्य लेखा परीक्षा विभाग, उत्तरदायी नहीं होगा । विभाग का उत्तरदायित्व केवल चयनित माह तक ही सीमित रहेगा ।

3 अंकेक्षण शुल्क :-

ग्राम पंचायत दराट बगला, विकास खण्ड द्रंग, जिला मण्डी के अवधि 01.04.21 से 31.03.23 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹ 4800/- आँका गया है । उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, हि.प्र. राज्य लेखा परीक्षा विभाग शिमला-9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या डी.के/एम.ए.एन.डी.आई /एस.ए.डी./2024-35 दिनांक 16.01.2024 द्वारा अनुरोध किया गया है ।

4 वितीय स्थिति :-

ग्राम पंचायत दराट बगला, द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.21 से 31.03.23 के लेखाओं की वितीय स्थिति निम्न प्रकार से थी :-

(i) **स्व: स्त्रौत व अन्य अनुदान:-** ग्राम पंचायत दराट बगला, के अवधि 01.04.21 से 31.03.23 तक की स्व: स्त्रौत व अनुदानों की वित्तीय स्थिति का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट (ख)** में संलग्न है:-

वर्ष	**अथ शेष**	**प्राप्ति**	**योग**	**व्यय**	**अन्तिम शेष**
2021-22	1166833.34	549707.19	1716540.53	964180	752360.53
2022-23	752360.53	1461086.76	2213447.29	1514398	699049.29

दिनांक 31.03.23 को सामान्य निधि व अनुदान का अन्तशेष **699049.29**

दिनांक 31.03.23 को बैंक में जमा व हस्तगत राशि का विवरण :-

Bank name	**Account no.**	**Name of head**	**Closing balance as on 31.03.2023**
H.P State cooperative bank,joginder nagar	31210114561	Own source & other grants	709119.29

Bank Reconicilation as on 31-03-2023		
Balance as per cash book		**699049.29**
Balance as per Pass book		**709119.29**
Net Difference		**10070**

(ii) **15 वाँ वित्त आयोग:-** ग्राम पंचायत दराट बगला, के अवधि 01.04.21 से 31.03.23 तक की 15 वाँ वित्त आयोग की वित्तीय स्थिति का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट (ग)** में संलग्न है :-

वर्ष	अथ शेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2021-22	672202	982630	1654832	4814	1650018
2022-23	1650018	1286680	2936698	2021346	915352

बैंक समाधान विवरणी :-

Bank Reconicilation as on 31-03-23			
Balance as per cash book			915352
Balance as per Pass book a/c 5010035846552			**915352**
Net Difference			**nill**

(iii) मनरेगा

वर्ष	अथ शेष	प्राप्ति	ब्याज	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2021-22	0	**2225320**	0	**2225320**	**2225320**	0
2022-23	0	**3257605.31**	0	**3257605.31**	**3257605.31**	0

4.1 रोकड़ बही का बैंक खातों से नियमानुसार मिलान न करना जिसके फलस्वरूप रोकड़ बही व बैंक खाते में ₹ 0.11 लाख का अन्तर पाया जाना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही के शेषों का बैंक खातों के शेष से मिलान करना अनिवार्य है । जबकि पंचायत की रोकड़ बही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जिस कारण से दिनांक 31.03.23 को रोकड़ बही में दर्ज प्रविष्टियों के अनुसार रोकड़ बही एवं बैंक के अन्तिम शेष में **₹10070** की राशि का अन्तर पाया गया। अतः मिलान करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत कराया जाये ।

05. (क) पंचायत के स्वः स्त्रोतों की आय के लिये अलग बैंक खाते का संचालन न करना

हि0प्र0 पंचायती राज राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (1 व 2) में पंचायत द्वारा दो बैंक खाते खोले जाने का प्रावधान है, जिसमें से खाता "क" में पंचायत के स्वयं संसाधनों से प्राप्त आय तथा खाता "ख" में प्राप्त समस्त अनुदानों को जमा करवाए जाने का प्रावधान है परन्तु ग्राम पंचायत मसौली के लेखाओं की अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा विभिन्न परियोजनाओं के संचालन हेतु बैंक खाते खोले गये थे और उपरोक्त नियम की

अनुपालना में पंचायत के स्वः स्त्रोतों की आय हेतु खाता "क" का संचालन अलग से नहीं किया जा रहा था । अतः इस सन्दर्भ में उपयुक्त स्पष्टीकरण के अतिरिक्त उचित सुधारात्मक कार्यवाही नियमानुसार करते हुये अनुपालना से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जाये।

(ख) अनुदान ₹ 16.14 लाख का उपयोग न करना :-

सचिव ग्राम पंचायत दराट बगला द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई अनुदानों से सम्बन्धित अभिलेख/सूचनाओं के अवलोकन पर पाया गया कि पंचायत द्वारा दिनांक 31.03.23 तक अनुदान ₹ 16,14,401.29 की राशि उपयोग हेतु शेष थी जिसका विवरण **पैरा संख्या 4(i), 4(ii)** में दिया गया है जो कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 की अवहेलना है । अतः वर्णित अनुपयुक्त अनुदान राशियों को यथाशीघ्र निर्धारित उद्देश्य हेतु उपयोग किया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए

(ग) अनुदान रजिस्टर का उचित अनुरक्षण व अद्यतन न करना:-

ग्राम पंचायत दराट बगला द्वारा अंकेक्षण अवधि **01.04.2021** से **31.03.2023** के दौरान अनुदान रजिस्टर का नियमानुसार उचित अनुरक्षण व अद्यतन नहीं किया गया था जोकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम **2002** के नियम **31** की अवहेलना की गई है ।

अतः इस सम्बन्ध में वस्तु स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अनुदान रजिस्टर का नियमानुसार उचित अनुरक्षण व अद्यतन करना सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

6. (क) पंचायत राजस्व गृह कर की देय राशि ₹0.64 लाख की वसूली न करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम **1994** की धारा **100** तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्ष, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम **2002** के नियम **32** के अनुसार पंचायत को सम्पत्ति कर/गृहकर कर वसूली करना अपेक्षित है। ग्राम पंचायत दराट बगला के गृहकर की आय से सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच करने पर पाया गया कि **परिशिष्ट (घ)** अनुसार **₹**63470 की वसूली नहीं की गई थी जिससे स्पष्ट है की पंचायत अपने राजस्व की उगाही के प्रति गम्भीर नही है । अतः परामर्श दिया जाता है कि लम्बित करों एवं बकाया राशियों की शीघ्र वसूली हेतु नियमानुसार प्राथमिकता के आधार पर अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

(ख) विवाह रजिस्ट्रेशन फीस ₹ 0.02 लाख की वसूली न करना:-

संयुक्त निदेशक, पंचायती राज विभाग, हि0प्र0 के पत्र संख्याः PCH-HA(1)8/2013-Marriage-8017-8106 दिनांक 28.10.16 व सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना संख्याः SJE-A-A(3)-1/2015 दिनाँक 4.10.16 के अन्तर्गत विवाह रजिस्ट्रेशन फीस के रूप में 200 प्रति रजिस्ट्रेशन तथा विलम्ब के लिए 400 अर्थात दोगुनी दर से रजिस्ट्रेशन फीस

प्राप्त की जानी निर्धारित है परन्तु ग्राम पंचायत दराट बगला द्वारा अवधि 01.04.21 से 31.03.2023 के दौरान विवाह रजिस्ट्रेशन फीस के रूप में निम्न विवरणानुसार **₹1275** की कम वसूली की गई थी। जिसका विवरण इस प्रकार से है :-

क्रम संख्या	रजिस्टर पृष्ठ संख्या	रसीद संख्या	मुखिया का नाम	विवाह की तिथि	पंजीकरण की तिथि	भुगतान योग्य राशि (₹)	प्राप्त राशि (₹)	अन्तर की राशि (₹)
1	7	Nill	साहिल कुमार सुपुत्र श्री सुभाष कुमार	10-02-2022	09-03-2022	25	nill	25
2	8	Nill	निशा सुपुत्री श्री सुभाष चंद	16-04-2022	27-04-2022	200	nill	200
3	9	Nill	नेहा सुपुत्री श्री हरनाम सिंह	20-04-2022	28-04-2022	200	nill	200
4	10	Nill	तमन्ना सुपुत्री श्री किशोरी लाल	21-04-2022	04-05-2022	200	nill	200
5	11	Nill	सपना सुपुत्री श्री सीरत राम	21-04-2022	11-05-2022	200	nill	200
6	12	Nill	पूजा देवी सुपुत्री श्री गुलाब सिंह	16-04-2022	20-05-2022	50	nill	50
7	13	Nill	लक्ष्मी देवी सुपुत्री श्री सुरेन्द्र	08-06-2022	20-06-2022	200	nill	200
8	14	Nill	शिया सुपुत्री श्री फोणु राम	12-07-2022	12-07-2022	200	nill	200
								1275

सचिव ग्राम पंचायत को अंकेक्षण अधियाचना संख्याः डी.के/एम.ए.एन.डी.आई /एस.ए.डी./2024-25 दिनांक 10.01.2024 द्वारा इस सम्बन्ध में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु कहा गया था जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि जिन आवेदनकर्ताओं से कम शुल्क लिया गया था उनसे वसूली करने के उपरांत पंचायत निधि में जमा करवा दिया जाएगा तथा भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि को दोहराया नही जाएगा । अत : परामर्श दिया जाता है कि उपरोक्त राशि की वसूली उचित स्त्रोत से सुनिश्चित करते हुए पंचायत निधि में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए ।

(ग) विवाह पंजीकरण फीस के रूप में प्राप्त राशि को सम्बन्धित विभाग के खाते में जमा न करवाना राशि ₹0.08 लाख :-

हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अधिसूचना सं. एस.जे.ई.-ए-ए-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.2016 (हिमाचल प्रदेश विवाह रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) नियम ,2016) के बिंदु 3 के अनुसार रजिस्ट्रीकरण फीस, विवाह रजिस्ट्रार के पक्ष में नकद द्वारा या मनीआर्डर के माध्यम से जमा की जाएगी और ऐसी फीस की प्राप्ति पर विवाह रजिस्ट्रार प्रारूप 4 में रसीद जारी करेगा । सयुंक्त निदेशक, पंचायती राज विभाग द्वारा पत्र सं. PCH-HA(1)8/2013-marriage-8017-8106 दिनांक 28.10.2016 द्वारा समस्त जिला पंचायत अधिकारियों को हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता के उक्त आदेशों की अनुपलना हेतु दिशा-निर्देश जारी किये गए थे।

ग्राम पंचायत दराट बगला, विकास खण्ड द्रंग, जिला मंडी(हि०प्र०) के अभिलेखों की नमूना जांच एवं पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गयी सूचना के अनुसार ग्राम पंचायत को वर्ष 2021-22 से 2022-23 के दौरान ₹7975/- विवाह पंजीकरण फीस के रूप में प्राप्त हुए। जिसका विवरण इस प्रकार है:-

क्र. संख्या	**वर्ष**	**प्राप्त शुल्क (₹)**
1.	2021-22	4650
2.	2022-23	3325
	कुल जोड़	**7975**

उक्त धन राशि को पंचायत द्वारा विवाह रजिस्ट्रार के पक्ष में जमा करवाया जाना चाहिए था परन्तु उक्त राशि लेखा परीक्षा अवधि (03/2023) तक पंचायत बैंक खाते में जमा थी तथा राशि को सम्बंधित विभाग को प्रदान नहीं किया गया था। जो की उपरोक्त नियमो की स्पष्ट अवहेलना थी । उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या:-डी.के./एम.ए.एन.डी.आई /एस.ए.डी./2024-24 दिनांक 10.01.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत दराट बगला के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि विवाह पंजीकरण के रूप में कम वसूल राशि को वसूल कर के सरकारी कोष में जमा करवा दिया जाएगा । अतः परामर्श दिया जाता है कि विवाह पंजीकरण की कम वसूली गयी राशि को उचित स्त्रोत से वसूली करके अनुपलना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

7 स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत प्लास्टिक कचरे का प्रबंन्धन न करना :-

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के दिशा-निर्देशों के अनुसार, प्लास्टिक कचरे का प्रबंधन किया जाना आवश्यक है । इसके लिए ग्राम पंचायत स्तर पर समग्र कार्य योजना तैयार किया जाना आवश्यक है जिसके अंतर्गत प्लास्टिक कचरे का प्रथक्करण, संग्रहण, धुलाई, भण्डारण और पुर्नचक्रण योग्य भाग

को पंजीकृत एजेंसियों को भेजना। प्लास्टिक कचरे को खुले में जलाने पर रोक लगाना तथा सभी हित धारकों में उनकी जिम्मेदारियों के सम्बन्ध में जागरूकता बढ़ाना भी शामिल है।

कार्य योजना में ग्राम स्टार पर प्लास्टिक कचरे का भंडारण, संग्रह एवं एकत्रण केन्द्रों की स्थापना तथा इन केन्द्रों से प्लास्टिक कचरे को ब्लॉक या जिला स्तर पर ले जाना जहाँ प्लास्टिक कचरा प्रबंधन केंद्र स्थापित किये जायेंगे। जिले के स्क्रैप व्यापारियों की सूची बनाई जाएगी और इसे इस योजना में शामिल किया जायेगा। कटे हुए छोटे टुकड़ों तथा बेल्ड प्लास्टिक कचरे का सड़क निर्माण में उपयोग किया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमियों के माध्यम से कचरा संग्रहण किया जाएगा। ग्राम पंचायत दराट बगला, विकासखण्ड द्रंग जिला मण्डी (हि०प्र०) में लेखा परीक्षा के दौरान यह पाया गया कि इस ग्राम पंचायत में प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन के लिए कोई कार्य योजना तैयार नहीं की गई थी | ग्राम पंचायत द्वारा विभिन स्तरों पर अर्थात घरेलू स्तर, संस्थान, स्वस्थ देखभाल केंद्र, वाणिज्यक क्षेत्र और बाजारों में सृजीत कचरे (प्रकार और मात्रा) का कोई आंकलन नहीं किया गया था।

इस स्थिति में प्लास्टिक कचरे का ग्राम पंचायत क्षेत्र में न तो संग्रहण किया जा रहा है और न ही प्लास्टिक को खुले में जलाने पर कोई रोक लगाने के लिए कोई कदम उठाया गया था | ग्राम पंचायत के पास जिले मंडी के स्क्रैप व्यापारियों की कोई सूची भी नहीं थी तथा सभी हितधारको में उनकी जिम्मेदारियों के सम्बन्ध में जागरूकता बढ़ाने के लिए कोई कार्य नहीं किया गया था | ग्राम पंचायत क्षेत्र में कुल 40 स्वयं सहायता समूह है लेकिन उनकी मदद भी किसी प्रकार से प्लास्टिक कचरे के संग्रहण के लिए नहीं ली गई थी।

इसके अतिरिक्त खण्ड विकास कार्यालय मण्डी द्वारा वर्ष 2023 में एक लाख रुपये ठोस कचरे के प्रबंधन के लिए अनुमोदित किये गए थे जोकि व्यय किया जा चूका है। अतः प्लास्टिक कचरा ग्राम पंचायत क्षेत्र में रहने वाले नागरिको द्वारा खुले में फेंका जा रहा है या जलाया जा रहा है जो कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के प्लास्टिक कचरे के प्रबन्धन से सम्बन्ध दिशा-निर्देशों का उल्लंघन है तथा उपर्युक्त दिशा-निर्देशों के पालन में ग्राम पंचायत की विफलता दर्शाता है।

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या:-डी.के./एम.ए.एन.डी.आई /एस.ए.डी./2024-30 दिनांक 15.01.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत दराट बगला के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था,जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया अंतर्गत ग्राम पंचायत द्वारा स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतगर्त प्लास्टिक कचरे का प्रबंन्धन नहीं करवाया जा रहा है जिसे अब आपके दिशा-निर्देशों के अनुसार नियमानुसार करवाया जाएगा व लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाएगा।

8 राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका (National Asset Directory) में पंचायत द्वारा सभी चल/अचल सम्पतियों को दर्ज न करना।

पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में वर्ष 2010-11 में पंचायत मिशन प्रोजेक्ट (एम०एम० पी०) प्रारम्भ की गई थी। इस योजना के अन्तर्गत विभिन्न अप्लिकेशन है जिनमें पंचायत की दैनिक कार्यवाही जिसे की पंचायत द्वारा की गई सेवाओं / सामान की खरीद/भुगतान एवं पंचायत

सम्पति इत्यादि का इंद्राज करना अनिवार्य है । ग्राम पंचायत दराट बगला, विकास खण्ड द्रंग, जिला मण्डी (हि०प्र०) के अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका (National Asset Directory) में पंचायत द्वारा अर्जित सभी चल/अचल सम्पतियों को दर्ज नहीं किया गया था। जाँच के दौरान पाया गया कि राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका में स्थायी सम्पत्तियों के रूप में केवल फर्नीचर व लैपटाप ही दर्ज की गयी थी तथा उनमे भी सम्पूर्ण जानकारी जैसे खरीद की तारीख तथा मूल्य इत्यादि दर्ज नही थे । इसके अलावा अन्य सम्पतियाँ जैसे बेडशीट,फिटिंग, प्रिंटर, कम्प्यूटर इत्यादि का इन्द्राज ही नहीं किया गया था। इसी प्रकार पंचायत द्वारा किये गए समस्त कार्यों को इसमे दर्ज नहीं किया गया था । ग्राम पंचायत ने लेखा परीक्षा की तिथि तक (03/2023) बहुत से कार्यों को पूर्ण किया था तथा पंचायत के पास अपना पंचायत घर है परन्तु पंचायत द्वारा अर्जित सभी प्रकार की चल/अचल सम्पतियों को राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका (National Asset Directory)में दर्ज नहीं किया था । पंचायत द्वारा अर्जित सभी प्रकार की चल/अचल सम्पतियो को वास्तविक मूल्य पर ही पंचायत मिशन प्रोजेक्ट (एम०एम०पी०) द्वारा आरम्भ की गई इस योजना के अंतगर्त दी गई अप्लिकेशन में दर्ज किया जाना अनिवार्य था। अतः यह स्पष्ट है की पंचायत द्वारा इस एप्लीकेशन के अंतर्गत कार्य को सही ढंग से नहीं किया जा रहा। पंचायत द्वारा उपरोक्त अप्लिकेशन में सभी प्रकार की चल/अचल सम्पतियो को दर्ज न करना भारत सरकार पंचायती राज मंत्रालय की ओर से जारी किये गए निर्देशों का उलंघन था जो की गम्भीर अनियमितता है। उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या:-डी.के./एम.ए.एन.डी.आई /एस.ए.डी./2024-27 दिनांक 11.01.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत दराट बगला के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया ग्राम पंचायत द्वारा रष्ट्रिय संपत्ति निर्देशिका में पंचायत द्वारा सभी चल/अचल सम्पत्तियों को दर्ज नही किया जा रहा था जिसे अब आपके दिशा-निर्देश के तहत पंचायत की सभी चल/अचल संपपतियों को दर्ज करवा कर अंकेक्षण से अवगत करवा दिया जाएगा ।

9 **(क) स्त्रोत पर आयकर की कटौती न करके ₹0.09 लाख की वसूली न करना :-**

सचिव ग्राम पंचायत दराट बगला द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचना व व्यय की जाँच करने पर पाया गया कि निम्नलिखित विवरण अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 व 2022-23 में विभिन्न फर्मो व व्यक्तियों को भुगतान किया गया था । लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा निम्न विवरणानुसार अंकेक्षण अवधि के दौरान ₹8272.90 की स्त्रोत पर कर की कटौती नहीं की गई थी । आयकर की धारा 194 (c) में विहित प्रावधान के अनुसार स्त्रोत पर कर की कटौती करना अपेक्षित था । जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :-

क्र0 सं0	आपूर्तिकर्ता	बिल संख्या / दिनांक	मद का नाम	भुगतान राशि	कटौती की दर	राशि
	सामान्य व अन्य अनुदान					
1	नारायण सिंह ठेकेदार गाँव जलपेहड़ डाकघर सेरू तहसील जोगिंदरनगर जिला मण्डी	**093/12.05.22**	रेत,बजरी व बोल्डर	19600	1.00%	196.00
	15वां वित्त आयोग					
2	नारायण सिंह ठेकेदार गाँव जलपेहड़ डाकघर सेरू तहसील जोगिंदरनगर जिला मण्डी	158/15.04.22	रेत व बजरी	21000	1.00%	210.00
3	नारायण सिंह ठेकेदार गाँव जलपेहड़ डाकघर सेरू तहसील जोगिंदरनगर जिला मण्डी	159/16.04.22	रेत व बजरी	21000	1.00%	210.00
4	नारायण सिंह ठेकेदार गाँव जलपेहड़ डाकघर सेरू तहसील जोगिंदरनगर जिला मण्डी	160/17.04.22	रेत व बजरी	21000	1.00%	210.00
5	नारायण सिंह ठेकेदार गाँव जलपेहड़ डाकघर सेरू तहसील जोगिंदरनगर जिला मण्डी	161/18.04.22	रेत व बजरी	21000	1.00%	210.00
6	नारायण सिंह ठेकेदार गाँव जलपेहड़ डाकघर सेरू तहसील जोगिंदरनगर जिला मण्डी	162/20.04.22	रेत व बजरी	21000	1.00%	210.00
7	नारायण सिंह ठेकेदार गाँव जलपेहड़ डाकघर सेरू तहसील जोगिंदरनगर जिला मण्डी	163/21.04.22	रेत व बजरी	21000	1.00%	210.00
	मनरेगा					
8	नारायण सिंह ठेकेदार गाँव जलपेहड़ डाकघर सेरू तहसील जोगिंदरनगर जिला मण्डी	007/25.05.21	बोल्डर	22500	1.00%	225.00
9	नारायण सिंह ठेकेदार गाँव जलपेहड़ डाकघर सेरू तहसील जोगिंदरनगर जिला मण्डी	008/25.05.21	रेत व बजरी	40700	1.00%	407.00
10	नारायण सिंह ठेकेदार गाँव जलपेहड़	001/18.03.21	बोल्डर	7500	1.00%	75.00

	डाकघर सेरू तहसील जोगिंदरनगर जिला मण्डी					
11	नारायण सिंह ठेकेदार गाँव जलपेहड़ डाकघर सेरू तहसील जोगिंदरनगर जिला मण्डी	002/18.04.21	कूट स्टोन	56000	1.00%	560.00
12	नारायण सिंह ठेकेदार गाँव जलपेहड़ डाकघर सेरू तहसील जोगिंदरनगर जिला मण्डी	010/25.05.21	रेत व बजरी	20350	1.00%	203.50
13	नारायण सिंह ठेकेदार गाँव जलपेहड़ डाकघर सेरू तहसील जोगिंदरनगर जिला मण्डी	011/25.05.21	बोल्डर	25000	1.00%	250.00
14	नारायण सिंह ठेकेदार गाँव जलपेहड़ डाकघर सेरू तहसील जोगिंदरनगर जिला मण्डी	004/10.04.21	बोल्डर	7500	1.00%	75.00
15	नारायण सिंह ठेकेदार गाँव जलपेहड़ डाकघर सेरू तहसील जोगिंदरनगर जिला मण्डी	005/10.04.21	कट स्टोन	56000	1.00%	560.00
16	नारायण सिंह ठेकेदार गाँव जलपेहड़ डाकघर सेरू तहसील जोगिंदरनगर जिला मण्डी	014/25.05.21	वोल्डर	30000	1.00%	300.00
17	नारायण सिंह ठेकेदार गाँव जलपेहड़ डाकघर सेरू तहसील जोगिंदरनगर जिला मण्डी	013/25.05.21	रेत व बजरी	45000	1.00%	450.00
18	नारायण सिंह ठेकेदार गाँव जलपेहड़ डाकघर सेरू तहसील जोगिंदरनगर जिला मण्डी	046/08.01.22	रेत व बजरी	14160	1.00%	141.60
19	नारायण सिंह ठेकेदार गाँव जलपेहड़ डाकघर सेरू तहसील जोगिंदरनगर जिला मण्डी	045/08.01.22	बोल्डर	35000	1.00%	350.00
20	नारायण सिंह ठेकेदार गाँव जलपेहड़ डाकघर सेरू तहसील जोगिंदरनगर जिला मण्डी	118/21.02.22	रेत व बजरी	23860	1.00%	238.60
21	नारायण सिंह ठेकेदार गाँव जलपेहड़ डाकघर सेरू तहसील जोगिंदरनगर जिला	115/nill	रेत व बजरी	25280	1.00%	252.80

	मण्डी					
22	नारायण सिंह ठेकेदार गाँव जलपेहड़ डाकघर सेरू तहसील जोगिंदरनगर जिला मण्डी	114/21.02.22	बोल्डर	15000	1.00%	150.00
23	नारायण सिंह ठेकेदार गाँव जलपेहड़ डाकघर सेरू तहसील जोगिंदरनगर जिला मण्डी	127/25.02.22	रेत व बजरी	19820	1.00%	198.20
24	नारायण सिंह ठेकेदार गाँव जलपेहड़ डाकघर सेरू तहसील जोगिंदरनगर जिला मण्डी	053/08.01.22	रेत	7680	1.00%	76.80
25	नारायण सिंह ठेकेदार गाँव जलपेहड़ डाकघर सेरू तहसील जोगिंदरनगर जिला मण्डी	054/08.01.22	कट स्टोन	57400	1.00%	574.00
26	नारायण सिंह ठेकेदार गाँव जलपेहड़ डाकघर सेरू तहसील जोगिंदरनगर जिला मण्डी	052/08.01.22	बोल्डर	10000	1.00%	100.00
27	नारायण सिंह ठेकेदार गाँव जलपेहड़ डाकघर सेरू तहसील जोगिंदरनगर जिला मण्डी	051/08.01.22	रेत व बजरी	21540	1.00%	215.40
28	नारायण सिंह ठेकेदार गाँव जलपेहड़ डाकघर सेरू तहसील जोगिंदरनगर जिला मण्डी	047/08.01.22	रेत व बजरी	17440	1.00%	174.40
29	नारायण सिंह ठेकेदार गाँव जलपेहड़ डाकघर सेरू तहसील जोगिंदरनगर जिला मण्डी	048/08.01.22	बोल्डर	10000	1.00%	100.00
30	नारायण सिंह ठेकेदार गाँव जलपेहड़ डाकघर सेरू तहसील जोगिंदरनगर जिला मण्डी	120/21.02.22	रेत व बजरी	18200	1.00%	182.00
31	नारायण सिंह ठेकेदार गाँव जलपेहड़ डाकघर सेरू तहसील जोगिंदरनगर जिला मण्डी	126/25.02.22	रेत व बजरी	19820	1.00%	198.20
32	नारायण सिंह ठेकेदार गाँव जलपेहड़ डाकघर सेरू तहसील जोगिंदरनगर जिला	119/21.02.22	रेत व बजरी	14560	1.00%	145.60

	मण्डी					
33	नारायण सिंह ठेकेदार गाँव जलपेहड़ डाकघर सेरू तहसील जोगिंदरनगर जिला मण्डी	121/21.02.22	रेत व बजरी	18200	1.00%	182.00
34	नारायण सिंह ठेकेदार गाँव जलपेहड़ डाकघर सेरू तहसील जोगिंदरनगर जिला मण्डी	116/21.02.22	बोल्डर	17500	1.00%	175.00
35	नारायण सिंह ठेकेदार गाँव जलपेहड़ डाकघर सेरू तहसील जोगिंदरनगर जिला मण्डी	117/21.02.22	रेत व बजरी	25680	1.00%	256.80
						8272.90

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्याः-डी.के/एम.ए.एन.डी.आई/एस.ए.डी./2023-26 दिनांक 11.01.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत दराट बगला के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि आयकर के रूप में कम वसूल राशि को वसूल कर के सरकारी कोष में जमा करवा दिया जाएगा । अतः स्त्रोत पर आयकर की कटौती/वसूली न करने का या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा राशि की वसूली उचित स्त्रोत से सुनिश्चित करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण में अवगत करवाया जाए ।

(ख) पंचायत द्वारा शेल्फ में अनुमोदित कार्यों का कार्यान्वन न करना तथा जॉब कार्ड धारकों को हकदारी के अनुसार रोजगार प्रदान न करना:-

मनरेगा अधिनियम 2005 के पैरा 3.2(iii) के अनुसार प्रतिवर्ष प्रति परिवार 100 दिनों की कार्य संबंधी हकदारी का वितरण एक ही परिवार के अलग-अलग व्यस्क सदस्यों में किया जा सकता है । प्रतिवर्ष प्रति परिवार 100 दिनों की कार्य संबंधी हकदारी को सरकार की अधिसूचना द्वारा वर्ष 2017-18 से 120 दिन कर दिया गया है । पैरा 6.4 के अंतर्गत लेबर बजट के लिए परियोजनाओ की शेल्फ तैयार की जाएगी तथा ग्राम सभा द्वारा वार्षिक योजना तथा श्रम बजट का अनुमोदन किया जाएगा । ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित परियोजनाओ की शेल्फ को पंचायत समिति एवं जिला पंचायत अधिकारी के माध्यम से करवाया जायेगा । अतः अनुमोदित परियोजनाओ का कार्यान्वन मनरेगा के तहद उपलब्ध जॉब कार्ड धारको द्वारा ही करवाया जायेगा । अभिलेखों की जाँच व ग्राम पंचायत दराट बगला, विकास खण्ड द्रंग जिला मण्डी (हि०प्र०) द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना में पाया गया की ग्राम पंचायत में वर्ष 2021-22 से 2022-23 के दौरान जॉब कार्ड धारकों को सरकार द्वारा निर्धारित रोजगार दिवसों की

संख्या से कम रोजगार दिवस उपलब्ध करवाए गए थे। उपरोक्त अवधि के दौरान जॉब कार्ड धारकों को उपलब्ध करवाए गए रोजागर दिवसों का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है:

वर्ष	मनरेगा शेल्फ के अंतर्गत अनुमोदित कार्य	मनरेगा शेल्फ के अंतर्गत किये गए कार्य	शेल्फ तथा किये गए कार्यों के बीच अंतर	जॉब कार्ड धारकों की संख्या (HH)	जॉब कार्ड धारकों की संख्या जिन्होंने रोजागर माँगा (HH)	जॉब कार्ड धारकों की संख्या जिन्हें रोजागर प्रदान किया गया (HH)	वर्ष के दौरान प्रदान किये गए मेंडेस	जॉब कार्ड धारकों की संख्या जिन्हें 100/120 दिनों का रोजागर प्रदान किया गया	वर्ष से दौरान रोजगार प्रदान किये जाने में कमी
2021-22	53	20	33	384	248	248	7670	4	26668
2022-23	84	58	26	402	242	242	7406	0	56650

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है की ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2021-22 से 2022-23 के दौरान सभी जॉब कार्ड धारकों को रोजगार प्रदान नहीं किया गया था जिससे यह प्रतीत हुआ कि पंचायत द्वारा जॉब कार्ड पात्रता के आधार पर नहीं बनाये गए थे जिसकी पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी थी। इसके अतिरिक्त जिन जॉब कार्ड धारकों को रोजगार प्रदान किया गया था उन्हें प्रतिवर्ष प्रति परिवार 100/120 दिनों की कार्य दिवस हकदारी के अनुसार वितरित नहीं किया गया था जबकि ग्राम पंचायत ने उपरोक्त वर्षों में पर्याप्त कार्यों को मनरेगा शेल्फ के अंतर्गत अनुमोदित करवाया था जिनमे से केवल आंशिक कार्य ही पूरे किये गए थे। पंचायत द्वारा अनुमोदित सभी कार्यों को न तो शुरू किया गया था जिससे स्पष्ट है की मनरेगा के तहत तैयार की जाने वाली वार्षिक शेल्फ जिसके परिणामस्वरूप सभी जॉब कार्ड धारकों को कार्य दिवस हकदारी के अनुसार वितरित/प्रदान नहीं किये गए थे। अनुमोदित कार्यों में से किये गए/कार्यान्वित कार्यों की दर बहुत ही कम थी जिससे यह प्रतीत हुआ की पंचायत द्वारा शेल्फ में कार्यों को या तो काल्पनिक आधार पर अनुमोदित किया गया था या पंचायत अनुमोदित कार्यों के कार्यान्वन के प्रति गम्भीर नहीं थे जो की नियमो की अवहेलना ही नहीं वल्कि लापरवाही को भी दर्शाता है।

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या:- डी.के./एम.ए.एन.डी.आई./एस.ए.डी./2024-28 दिनांक 12.01.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत दराट बगला के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया की ग्राम पंचायत द्वारा शेल्फ में अनुमोदित कार्यों का कार्यान्वन न करना तथा जॉब कार्ड धारकों को हकदारी के अनुसार रोजगार प्रदान नहीं किया गया था, जिसे अब भविष्य में जोबकार्ड धारको को रोजगार प्रति वर्ष प्रति परिवार 100 दिनों के कार्यदिवस हकदारी के अनुसार दिया जायेगा तथा शेल्फ में अनुमोदित सभी कार्य किर्यान्वित किये जाएँगे। तथा भविष्य में जोबकार्ड पात्रता के आधार पर बनाए जायेंगे जिसकी अनुपालना करके लेखापरीक्षा से अवगत करवा दिया जाएगा।

10. नियमानुसार विहित औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹0.40 लाख का निर्माण सामग्री का क्रय करना

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित हैं । परन्तु अंकेक्षण के दौरान व्यय वाउचरों का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि अनुसार पंचायत द्वारा बर्ष 2021-22 व 2022-23 में ₹ 39300 की निर्माण से सम्बन्धित सामग्री का क्रय नियमानुसार निविदा/कोटेशन सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया था, जोकि गम्भीर अनियमितता है जिसके अभाव में यह ज्ञात करना संभव नहीं है कि उक्त वर्ष में विभिन्न सामग्री की क्रय दर कितनी थी तथा जिस मूल्य पर खरीद की गई थी उसके संबंध में उचित अभिलेख न होने के कारण निम्न विवरणानुसार क्रय की गयी सामग्री पर किए गए व्यय को उचित नहीं ठहराया जा सकता है जोकि पंचायत निधि के धन के दुरुपयोग को भी दर्शाता है । जिसका विवरण इस प्रकार से है :-

क्रम संख्या	बिल संख्या/दिनांक	शीर्ष	आपूर्तिकर्ता	मद का नाम	भुगतान राशि (₹)
1	821/27-06-21	basp	दया सागर जोइनरी व फ़र्निचर उद्योग,डाकघर दोहग,तहसील जोगिंदर नगर जिला मंडी	खिड़की व पल्ले	20060
2	डीसीएस/22-23/912 DATED 13-05-22	basp	एम/एस द्रूनी चंद & स्न्स नजदीक सेंटर स्टोर जोगिंदर नगर	सीजीआई शीट व पाइप	19240
					39300

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या डी.के/एम.ए.एन.डी.आई /एस.ए.डी./2024-29 दिनांक 12-01-2024 को अंकेक्षण के दौरान ही सचिव ग्राम पंचायत दराट बगला के ध्यानार्थ लाया गया जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि को दोहराया नही जाएगा । उत्तर संतोषजनक नही था अतः परामर्श दिया जाता है की वर्णित अनियमितता का पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए वर्ष 2021-22 व 2022-23 में किए गए व्यय की उचित कार्यवाही करके जाँच की जाए तथा इसे उचित सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए व भविष्य में

नियमानुसार सभी औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए वस्तुओं/सामग्री का क्रय करना सुनिश्चित किया जाए तथा कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को . अवगत करवाया जाए।

10. (क) बजट प्राक्कलन तैयार न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म -11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा में पारित करना अपेक्षित था। परन्तु जाँच के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान पंचायत का बजट प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया था। इस प्रकार बजट प्राक्कलन तैयार / अनुमोदित न करने के कारण पंचायत द्वारा किया गया व्यय अनियमित है। सचिव द्वारा निर्धारित फार्म - 11 पर बजट प्राक्कलन तैयार/ अनुमोदित न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

(ख).विहित रजिस्टरों/अभिलेख का अनुरक्षण न करना:-

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है।

क्र. स.	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	सन्दर्भित नियम
1	निवेश रजिस्टर	1	12
2	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	9	30
3	मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
4	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
5	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टरों का नियमानुसार उचित तरीके से अनुरक्षण नहीं किया गया है।	25 व 26	72(1) (ए व बी)
6	स्टेशनरी रजिस्टर	28	72(1) (सी व डी)
7	रसीद बुक जारी करने का रजिस्टर	------	31
8	बिल रजिस्टर	13	48

अतः नियमानुसार अभिलेखों व रजिस्टरों का रख-रखाव सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

12. **प्रत्यक्ष सत्यापनः-**

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अंतर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है। परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

13. **लघु आपति विवरणिका:-**यह अलग से जारी नहीं की गई है।

14. **निष्कर्ष:-**लेखों के रख-रखाव में सुधार की नितान्त आवश्यकता है।

21 MAR 2024 (कृष्ण लाल नेगी) 20.3.24
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009

का0/पृ0
1537 – 1541

पृष्ठांकन संख्याः– फिन (एल0ए0) एच (पंच) (15)(11) 9/2017 खण्ड–1 दिनांक शिमला–09,
प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2. उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी मण्डी, जिला मण्डी, हि0प्र0।
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड द्रंग, जिला मण्डी, हि0प्र0।

पंजीकृत 5. सचिव, ग्राम पंचायत दराट बगला, विकास खण्ड द्रंग, जिला मण्डी, हि0प्र0 को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

21 MAR 2024
(कृष्ण लाल नेगी) 20.3.24
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009

का0/पृ0

परिशिष्ट-"क", पैरा 1 (ग) में सन्दर्भित

गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के अनिर्णित पैरो का सार

अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2013 से 03/2016

क्रम संख्या	पैरा संख्या	विवरण	टिप्पणी
1	पैरा-3	**निर्णीत**	अंकेक्षण अवधि 1/04/13 से 31/03/16 तक का अंकेक्षण शुल्क 6000 को ड्राफ्ट संख्या 197102 दिनांक 10-01-2024 को विभाग को प्रेषित कर दिया गया है।
2	पैरा-5	अनिर्णीत	
3	पैरा-6	अनिर्णीत	
4	पैरा-7	अनिर्णीत	
5	पैरा-8	अनिर्णीत	
6	पैरा-9	अनिर्णीत	
7	पैरा-10	अनिर्णीत	
9	पैरा-11	अनिर्णीत	
10	पैरा-12	अनिर्णीत	
11	पैरा-13	अनिर्णीत	
12	पैरा-14	**निर्णीत**	राशि मु० 1400/ को रसीद संख्या 90974 दिनांक 10.01.24 अनुसार वसूल कर निधि में जमा करवा दिया गया है।
13	पैरा-15	**निर्णीत**	अंकेक्षण से 0.02 लाख के व्यय से संबन्धित भुगतान बिल को प्रस्तुत व अंकेक्षण से अवगत करवा दिया गया है।
14	पैरा-16	अनिर्णीत	
15	पैरा-17	अनिर्णीत	
16	पैरा-18	अनिर्णीत	

अनिर्णीत पैरों का विवरण

प्रारम्भिक शेष	16
वर्तमान अंकेक्षण के दौरान लगाए गए पैरे	10
वर्तमान अंकेक्षण के दौरान निर्णीत किए गए पैरे	3
अवधि 01.04.13 से 31.03.2023 तक के अनिर्णीत पैरों का अन्तशेष	23

पैरा संख्या - 4(i) परिशिष्ठ - "ख"

17

Financial position of Own source & other grant in aids of Gram Panchyat darat bagla					
Year	Opening Balance	Income	Total	Expenditure	Closing balance
2021-22	1166833.34	549707.19	1716540.53	964180	752360.53
2022-23	752360.53	1461086.76	2213447.29	1514398	699049.29

Secretary
Gram Panchayat Darat [illegible]

19

पैरा संख्या - 4(ii)
परिशिष्ठ - (ग)

Financial position of 15 th FCof Gram Panchyat darat bagla					
Year	Opening Balance	Income	Total	Expenditure	Closing balance
2021-22	672202	982630	1654832	4814	1650018
2022-23	1650018	1286680	2936698	2021346	915352

Secretary
Gram Panchayat Darat

पैरा संख्या - 6 (क)
परिशिष्ट - "ध"

19

सम्पति कर की बसूली का विवरण वर्षवार

ग्राम पंचायत दारट बगला, विकास खण्ड द्रंग, जिला मण्डी, हि0 प्र0।

वर्ष	कुल परिवार	पिछला शेष	सम्पति कर की दर प्रति वर्ष	सम्पति कर की राशि जो बसूल करनी थी	सम्पति कर जो बसूल किया गया	सम्पति कर की बकाया राशि
2020–21	731	73630	25	18275	67185	24720
2021–22	763	24720	25	19075	0	43795
2022–23	787	43795	25	19675	300	63170

Secretary
Gram Panchayat Darat Bagla
Dev. Block Drang, Distt. Mandi (H.P.)